UPMP040086692026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

Criminal Misc. Cases/1181/2026

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्णा गिहार

दिनांक 26.05.2026

आवेदक रक्षपाल शर्मा पुत्र कुंवरबहादुर शर्मा निवासी मोहल्ला नेहरू नगर जैथरा थाना जैथरा थाना एटा की ओर से अपराध संख्या 201/2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.82 ए.डब्लू. 1232 का पंजीकृत स्वामी राघवेन्द्र का पिता है। प्रार्थी ने उपरोक्त मोटरसाइकिल मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त को मांगने पर दी थी। कृष्णा गिहार प्रार्थी के मोहल्ले का रहने वाला है। प्रार्थी की मोटरसाइकिल बरामद हो गयी है। प्रार्थी का वाहन थाना में खड़ा है। प्रार्थी का पुत्र मु.अ.सं. 442/2018 पी.एस.टी. 32/2019, राज्य बनाम राघवेन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 363, 366, 368, 376, 506 भा.दं.सं. व 4 व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना जैथरा में एटा केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ जनपद फरूर्खाबाद में बन्द है। प्रार्थी का पुत्र राघवेन्द्र बीस वर्ष की सजा काट रहा है। प्रार्थी का वाहन खुले स्थान पर खड़े रहने से काफी नुकसान होने का संदेह है। अतः याचना की गयी है कि उक्त वाहन को उसकी सुपुर्दगी में दिया जाए। समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार उक्त वाहन थाना परिसर में खड़ी हुयी है। थाने से प्राप्त आख्या में उक्त मोटरसाइकिल का चैसिस नम्बर अंकित है। रिलीज का विरोध है।

कथन के समर्थन में मूल आर.सी. तथा निर्णय की छायाप्रति सत्र परीक्षण संख्या 32/2019 प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार अभियुक्त राघवेन्द्र, मु.अ.सं. 442/2018, सत्र परीक्षण संख्या 32/2019, राज्य बनाम राघवेन्द्र आदि, अन्तर्गत धारा 363, 366, 368, 376, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 4 व 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना जैथरा, जनपद एटा के प्रकरण में दोषसिद्ध होकर केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में निरुद्ध है। वाहन स्वामी/अभियुक्त राघवेन्द्र उक्त प्रकरण में 20 वर्ष के कारावास का दण्ड भुगत रहा है।

प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्ध रहने से उसकी उपयोगिता में ह्रास होने एवं उसके खराब होनें की संभावना है। निर्णय विधि सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(46)ए.सी.सी 223 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय में निरूद्ध सम्पत्ति मामलों को विधिपूर्वक अतिशीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करना चाहिये।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय विधि में पारित दिशा निर्देश के प्रकाश में प्रश्नगत वाहन को आवेदक के पक्ष में निम्नांकित शर्तों के अधीन सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

आवेदक द्वारा **मुव. 1,30,000/– रूपए (एक लाख बीस हजार रूपए मात्र) का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू** एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि वह वाहन मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.82 ए.डब्लू. 1232 को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। उसे न तो किसी अन्य के पक्ष में अंतरित करेगा और न ही खुर्द–बुर्द करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर उसे न तो बेचेगा न ही उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा । उक्त वाहन आवेदक की सुपुर्दगी में दिया जावे।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहन को यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो आवेदक की सुपुदर्गी में दे देवें।

दिनांक 26.05.2026

गरिमा सिंह–III
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.